

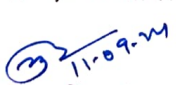
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 08 / सन-2024

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.09.2024	<u>—:आदेश: —</u> अभिलेख उपस्थापित। यह विविध वाद अभिलेख आवेदक मो० कुर्बान, साकिन- चुंजखो, थाना- परसन ओ० पी०, पो०- ओरखार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 05, के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05, श्री कंचन कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- चुंजखो, थाना नं०- 256 के भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- IV, पृष्ठ सं०- 143 पर महबुब मियां, पिता- लुटन मियां के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लेकिन मौजा- चुंजखो, थाना नं०- 256 के ऑनलाइन पंजी- ॥ के भाग सं०- IV, पृष्ठ सं०- 143 पर दो जमाबंदी रैयत 1. जुमन मियां, पिता- करीमन मियां, एवं 2. महबुब मियां, पिता- लुटन मियां के नाम से जमाबंदी दर्ज है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी- ॥ के अनुसार ऑनलाइन पंजी- ॥ में सुधार करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में ऑनलाइन पंजी- ॥ के भाग सं०- IV पृष्ठ सं०- 143 में सुधार हेतु आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- चुंजखो, थाना नं०- 256 के भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- IV, पृष्ठ सं०- 143 पर महबुब मियां, पिता- लुटन मियां के नाम से दर्ज जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी- ॥ के भाग सं०- IV, पृष्ठ सं०- 143 में सुधार करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05, श्री कंचन कुमार और अंचल निरीक्षक, धनवार को निदेश दिया जाता है कि आदेश के अनुरूप तत्संबंधी सुधार करें। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	